न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/126 दायरा दिनांक : 01.11.2021

उनवान

1— हरदेव आत्मज स्व.श्री किशना जी जाति कुम्हार निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील अंता, जिला बारां
2— सत्यनारायण आत्मज श्री हरदेव जी जाति कुमार निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील अंता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— ओमप्रकाश आत्मज श्री हरदेव जी जाति कुम्हार निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील अंता, जिला बारां
2— लाडबाई पुत्री श्री हरदेव जी जाति कुम्हार निवासी ग्राम रूपपुरा, तहसील अंता, जिला बारां
2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अंता जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री भगवान प्रसाद दाधीच, अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 06.08.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंता के प्रकरण संख्या — 100/2021 निर्णय दिनांक 06.09.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, व 188 आर0टी0 एक्ट प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

6/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कम 1 के पिता अप्रार्थी कम 2 की पुश्तैनी आराजी वाके माल ग्राम धतुरिया तहसील अंता में खाता संख्या 291 में खसरा नं. 6 रकबा 1.31 हेक्टर तथा ग्राम बालाखेडा तहसील अंता में खाता संख्या 439 में खसरा नं. 911 रकबा 1.28 हेक्टर भूमि खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय अंता के निर्णय दिनांक 06.09.2021 के द्वारा उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की है।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पो. नं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध ग्राम धतुरिया तहसील अंता जिला बारां की खसरा नम्बर 6 की 1.31 हेक्टर भूमि तथा ग्राम बालाखेडा तहसील अंता की खसरा नं. 911 की 1.28 हेक्टर भूमि के संबंध में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादीगण रेस्पो0 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण अपीलांट एक दूसरे के हिस्से में जबरन कब्जा न करे, एवं काश्त व्यवस्था में व्यवधान नहीं करे व खुर्द बुर्द नहीं करे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्ध सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि वाद विषयक अपील विषयक उपरोक्त आराजियात पुश्तैनी नहीं है। उपरोक्त आराजियात अपीलांट नं. 1 के तनहा खाते व कब्जे काश्त की है। अपीलांट नं. 1 की अपीलांट नम्बर 2 पुत्र होने से काश्तकारी में उसकी मदद करता है। अपीलांट नं. 1 हरदेव सन्यासी नहीं बल्कि गृहस्थ है। अपीलांट नं. 1 हरदेव उसके पुत्र सत्यनारायण के साथ निवास करता है। अपीलांट नं. 2 काश्तकारी में अपीलांट नं. 1 की मदद करता है। रेस्पो0 नं. 1 व 2 अपीलांट की न तो देखभाल करते है और न ही सेवा सुश्रुषा करते है। अपीलांट नं. 1 उपरोक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट है एवं जीवित है। अपीलांट नं. 1 के जीवनकाल में रेस्पो0 नं. 1 व 2 का उपरोक्त आराजियात में कोई हक एवं अधिकार नहीं है, हित निहित नहीं है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वथा गलत, त्रुटि पूर्ण गैरकानूनी एवं मनमाने तोर पर हुक्म जेर अपील प्रदान कर प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि अपीलांट नं. 1 के पिता एवं अपीलांट नं. 2 के दादा जी श्री किशना जी की दिनांक 15–03–1926 को मृत्यु हो गयी थी। किशना जी की के एक मात्र पुत्र अपीलांट नं. 1 हरदेव है। किशना जी मृत्यु के समय रेस्पो0 नं. 1 व 2 एवं अपीलांट नं. 2 पैदा ही नहीं हुए थे। किशना

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जी के स्वर्गवास के उपरांत उपरोक्त भूमि के अपीलांट नं. 1 तनहा खातेदार टीनेन्ट हो गये थे। उपरोक्त भूमि के अपीलांट नं. 1 हरदेव जी एबसोलूट ओनर थे। उपरोक्त भूमि अपीलांट नं. 1 में एबसोलूट ओनर के रूप में तनहा रूप से निहित (वेस्ट) हुई थी। किशना जी की मृत्यु के समय रेस्पो0 1 व 2 एवं अपीलांट कम 2 पैदा ही नही हुए थे इस कारण उपरोक्त भूमि अपीलांट नं. 1 की स्वअर्जित थी। अपीलांट नं. 1 की सेपरेट प्रोपर्टी थी। इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपीलं प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलांट नं 1 हरदेव उपरोक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट है। उपरोक्त भूमि पर वैधानिक रूप से तनहा काबिज है। खातेदार टीनेन्ट एवं काबिज व्यक्ति के विरूद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश विरूद्ध अपीलांट गैर कानूनी एवं त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 कम 1 व 2 का उपरोक्त आराजियात पर कब्जा नहीं है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हुक्म जेर अपील सर्वथा गलत एवं त्रुटि पूर्ण रूप से पारित किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण रेस्पो0 कम 1 व 2 का अपील विषयक आराजियात में अपीलांट नं. 1 हरदेव पिता के जीवनकाल में कोई हक एवं अधिकार नहीं है तथा उनका उक्त भूमि में कोई हित निहित नहीं है एवं कब्जा नहीं है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वर्णित आराजी में हरदेव खातेदार है, रेस्पोडेंटगण का आराजी में कोई अधिकार व कब्जा नहीं है। वर्तमान में खातेदार जीवित है। अतः अन्य का कोई अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन के अनुसार आदेश पारित नहीं किया है। अपूरणीय क्षति के संबंध में Finding नहीं दी। अपने पक्ष मे समर्थन में 2013 (1) RRT PAGE NO 686, 2010 (2) RRT PAGE NO 1421, RRT, 2015 (1) 636 उद्धरत की। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं पर आधारित होने के कारण सही है। अपीलांट क्रम 2 को अपीलांट क्रम 1 संरक्षण देकर रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 को अपने अधिकारों से वंचित करना चाहते है। पैतृक/स्वअर्जित सम्पति का प्रश्न मूल वाद में तय होगा। अपने पक्ष के समर्थन में 2011 RRD PAGE NO 777-779, 2011RRD PAGE NO-480-482, 2009-10 RRT (SUPP.) PAGE NO. 208-211 उद्धरत की। अतः अपीलं खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे विवादित आराजी का पैतृक सम्पत्ति होना प्रकट है। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैतृक सम्पति सिद्ध हुए बिना अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति की अपने निर्णय में विस्तृत समीक्षा नहीं की है। उभयपक्षकारान के हक दावे में तय होंगे तब तक रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2021 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा